

FORM- I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Dehradun

No. 1375/DLRC/2022

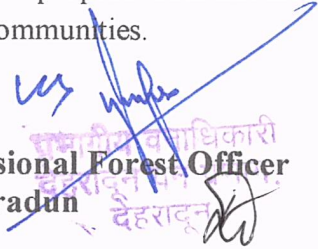
Date: 22/11/2022

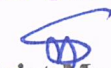
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **19.8345 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India, Dehradun for Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur)** in the district of Dehradun falls within jurisdiction of **Athoorwala village in Doiwala Tehsil, Ranipokhari Grant, Badkotmafi, Rishikesh villages in Rishikesh Tehsil.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **19.8345 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized right of primitive Tribes Groups and preagricultural communities.


Divisional Forest Officer
Dehradun

प्रति हस्ताक्षरित

District Magistrate
District Level committee
Dehradun


Sub Divisional Magistrate
Doiwala, Dehradun


Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun


District Social Welfare
Department Dehradun


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पोस्टाईन्चू-बसन्त विहार, देहरादून

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT
(FRA), 2006**

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of SONIKA....., IAS, District Magistrate on dated 08-09/2022 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in mail area measuring 19.8345 Hectare for the Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 (km 0.000 to km 20.600) in the State of Uttarakhand of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of Doiwala and Rishikesh were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend and above case for diversion of land for the said purposed.

Place:

Date:


Divisional Forest Officer
Dehradun

प्रति हस्ताक्षरित

District Magistrate
Dehradun
District Level committee


Sub-Divisional Magistrate
Doiwala, Dehradun


Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun


District Social Welfare
Department Dehradun
देहरादून


परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय गन्तव्य राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ०५०-वसन्त विहार, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक :- 1375/DLRC/2022

दिनांक 22/11/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08-07-2022 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 19.8345 हैक्टेयर वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति- डोईवाला एवं ऋषिकेश द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी डोईवाला एवं ऋषिकेश की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 19.8345 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के तिमली रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- डोईवाला एवं ऋषिकेश की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

हस्ताक्षर
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
देहरादून

हस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, देहरादून
देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर
जिलाधिकारी
देहरादून

हस्ताक्षर
उपजिलाधिकारी
डोईवाला, देहरादून
उप जिलाधिकारी
डोईवाला
प्र0स0

हस्ताक्षर
उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश, देहरादून
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्तविहार, देहरादून

हस्ताक्षर
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आइ०यू०-बसन्त विहार, 3

प्रपत्र - 23.3

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हैक्टेयर वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिनियम-2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
डोईवाला, देहरादून
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश, देहरादून
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
देहरादून
उत्तराखण्ड

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
जि० देहरादून कल्याण अधिकारी
देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 200-वसन्त बिल्डर, देहरादून

कार्यालय उप जिलाधिकारी डोईवाला।

संख्या-436 / एस0टी0 / 2022

दिनांक-06 सितम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के कुल 19.8345 हे० में से 0.3049 हे० भानियावाला के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-753/डी०एल०आर०सी०-2021 दिनांक-25.07.22 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, उक्त के अनुपालन में अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-01.09.2022 को आयोजित की गयी। तत्क्रम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की मूल रिपोर्ट मय संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,


06/09/22
(युक्ता मिश्र)

उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रतिलिपि:-

1- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी - डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- डोईवाला) की दिनांक 01.09.22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी डोईवाला (देहरादून) अध्यक्ष
2. श्री अनिल सिंह रावत उप प्रभागीय सदस्य
3. श्री अदेश कुमार सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री राजेश भट्ट बी०डी०सी० क्षेत्र वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०)

अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि मे से 0.3049 है० भूमि भानियावाला-2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। यह कि कुल भूमि 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

6/9/22
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— डोईवाला
जनपद—देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/9/22
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— डोईवाला
जनपद—देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पोस्टाई-24-कमन्स विभाग, देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

तहसील- डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि मे से 0.3049 है० भूमि भानियावाला—2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम भौजा आदिवाला द्वारा दिनांक 22/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम आ-देहरादून के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला-देहरादून

ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं०-10, भनियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दूज
मो०-9759531740

राजेश भट्ट (सभासद)
वार्ड नं०-७, जौलीग्रान्ट अटूरवासा
नगर पालिका परिषद डोईवाला
ग्रामप्रधान (उत्तराखण्ड)

बलविन्दर सिंह (सभासद)
ब्लॉक नं० 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पौ.०आई.०यू.०-वसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 22/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा का नाम - कान्हरवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेश चन्द मन्द	
2.	विनोद चन्द मन्द	
3.	रमेश चन्द मन्द	
4.	मनो ज्योतिषा पुत्र जे.पी. चमोला	
5.	नरेश चन्द मन्द पुत्र स्व. मोहन लाल मन्द	
6.	मोहन चन्द मन्द पुत्र मन्मथ चन्द मन्द	
7.	मोहन चन्द मन्द पुत्र मन्मथ चन्द मन्द	
8.	सुरेश चन्द मन्द	
9.	गोविन्द चन्द मन्द	
10.	गोविन्द चन्द मन्द	
11.	आनन्द सिंह चौधरी	
12.	केशव चन्द	
13.	पद्मलाल मन्द	
14.	यशपाल मन्द	
15.	सुरेश चन्द	
16.	नरेश चन्द मन्द	

हिमांशु राणा (सभासद)
वार्ड नं०-3, कान्हरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र नं०-10, भानियावाला
तहसील नं०-10
जिला-देहरादून

ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं०-10, भानियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून
नं०-9759531740

बलविन्दर सिंह (सभासद)
वार्ड नं० 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक, Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार)
नं०-011-230-मन्त्रालय भवन, नई दिल्ली

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

राजस्व ग्राम का नाम- जौली आड़वाला

तहसील- डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि में से 0.3049 है० भूमि भानियावाला-2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम जौली आड़वाला द्वारा दिनांक 26/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम जौली आड़वाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव


जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र नाम
तहसील डोईवाला
जिला-देहरादून


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-ए-वमन्त बिहार, देहरादून


राजेश भट्ट (सभारक्षी)
वार्ड नं०-7, जौलीग्रान्त आड़वाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 26/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

राज्य ग्राम पंचायत का नाम - जौली बागवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पुष्कर सिंह चौहान	
2.	पुष्कर सिंह खिबर	P. S. Khiber
3.	दिनेश लज्जावाला	
4.	जोषाला सिंह लज्जावाला	
5.	मनमोहन लज्जावाला	
6.	जितन मेहता	
7.	नवीन कोठियावाला	
8.	C.M. Kothiyala	
9.	सत्ये सिंह खिबर	सत्ये
10.	मोहन मेहता	- दीपक सिंह
11.	जयेश मर्	
12.	मधु ठाकुराण	मधु ठाकुराण
13.	रमेश धाकुराण	रमेश
14.	सरोज सिंह	
15.	राज ठाकुराण	
16.	परीष -	

जोना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways
मो-011-2608010-नमस्तर बिल्डिंग, देहरादून

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र...
तहसील...
जिला-देहरादून

राजेश भट्ट (सभासद) भाजपा
वार्ड नं०-7, जौलीग्रान्त, अ...
नगर पालिका परिषद डोईवाला

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

संख्या:- 493/एस0पी0ए0- /विविध पत्रा0 2022

दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला देहरादून से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त विषयक सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तहसील ऋषिकेश की 03 ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये, अनापत्ति प्रमाण मूल रूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

17/8/22

उपजिलाधिकारी,

ऋषिकेश।

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश

प्रतिलिपि - परि निदेशक, NHAI, देहरादून।

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-बसन्त विहार, देहरादून

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी - ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-ऋषिकेश) की दिनांक 08/01/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बोलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

5. श्री बोलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी ऋषिकेश (देहरादून) अध्यक्ष
6. श्री रमेश चन्द्रावरण उप प्रभागीय उप क्षेत्राधिकारी सदस्य
7. श्री सहज प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
8. श्री विजय चन्द बी०डी०सी० क्षेत्र विकास अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०)

अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— ऋषिकेश,
जनपद—देहरादून
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— ऋषिकेश,
जनपद—देहरादून


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
ब्लॉक-2010-वर्तमान विभाग, देहरादून

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- रानीपौरखरी ग्रान्ट

तहसील- ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रानीपौरखरी ग्रान्ट द्वारा दिनांक 8/8/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रानीपौरखरी ग्रान्ट के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव 8/8/2022
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ऋषिकेश
दि० 08/08/2022


ग्राम प्रधान
ग्राम सभा, रानीपौरखरी ग्रान्ट
वि० ख० डोईवाला जिला देहरादून
ग्राम प्रधान


परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन गन्तमान मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-वमन विहार, देहरादून

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 8/8/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - शनीपौरखरी ग्राम

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री मनकिशोर मल्ल	
2.	सोनीयवल पाल रोड	सोनी
3.	श्रीमती दामयंती शर्मा	Damayanti
4.	श्री वीरा छेहं-मोदी	वीर छेहं
5.	विक्रम रावत	विक्रम रावत
6.	वन्दना	Vandana
7.	श्रीमती सरस्वती देवी। गम्भीर लाल मोदी	सरस्वती देवी
8.	श्रीमती आरती देवी। कल्याण मल्ल	आरती देवी
9.	दीपक कुमार	दीपक
10.	मदन सिंह	मदन सिंह
11.	श्री पिताम्बर सिंह	पिताम्बर
12.	विनय कुमार	विनय कुमार
13.	रवि कुमार	रवि कुमार
14.	श्रीमती अम्बर कश्यप	अम्बर
15.	मनमोहन सिंह	मनमोहन
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उपा निरीक्षक
क्षेत्र बड़काट शाही
दि० 08/08/22

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० ७०-बसन्त विहार, देहरादून

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- रेनापुर ग्राम

तहसील- ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेनापुर ब्लॉक द्वारा दिनांक 08/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रनापुर गार के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Grimm

ग्राम सचिव कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट ब्राह्मी
दि० ०९/०१/२०२२

Abhishek

ग्राम प्रधान


परियोजना निदेशक/प्रोजेक्ट डायरेक्टर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन विभाग, भवन, हरद्वार)
Ministry of Road Transport & Highways
पं-जीएचआरटी-वमन्त नगर, देहरादून

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम — उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 01/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - देनापुर ग्राम

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवापाल सिंह	देवापाल सिंह
2.	अरुण चौधरी	अरुण चौधरी
3.	लाल लाल	लाल लाल
4.	शमशेर सिंह शर्मा	शमशेर सिंह
5.	अमर सिंह शर्मा	अमर सिंह
6.	लालत मोहन	लालत
7.	मनमोहन रेड्डा	मनमोहन
8.	श्रीलाल सिंह जैन	श्रीलाल
9.	Kuldip Singh Bawar	Dr.
10.	Biranda	Lodha
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उष्म निरीक्षक
क्षेत्र बडकोट भागी
दि० ०८/०८/०२२

परियोजना निदेशक/Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पञ्जाब राज्य-राजमार्ग विभाग, जलंधर

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 20.600 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- बरकोट माफ़ी
तहसील- ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु** (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात् कुल 19.8345 है० वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावित्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरकोट माफ़ी द्वारा दिनांक 08/08/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरकोट माफ़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

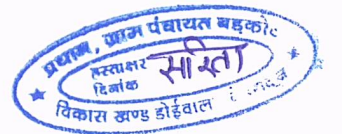
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

Okum
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बरकोट माफ़ी
दि० 08/08/2022

ग्राम प्रधान

Pr
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन, गमनायक पंचायत, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्र०:आइ०टू-एन०: नई दिल्ली, देहरादून

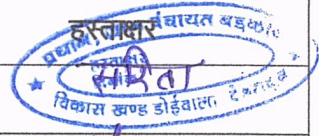


प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक - 08/08/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - बड़कोट माफी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	
1.	सरिता	
2.	आने लालुभाट	Amel
3.	रमेश तिवारी	R. M.
4.	मोहित कपश्याण	Mohit
5.	सीता देवी	सीता देवी
6.	बिजेन्द्र	Bijendra
7.	जीत सिंह	Jit Singh
8.	रविन्द्र सिंह	Ravindra Singh
9.	राजेश लाल	Rajesh Lal
10.	सोहन सिंह पिंवा	Sohan Singh Pinda
11.	विजय लक्ष्मी	Vijay Laxmi
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट माफी
दि० 8/08/2022

परियोजना निरीक्षक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन, गलमार्ग, परिवहन, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
सी०आई०टी०-नमस्त, नहर, देहरादून

89



परियोजना निदेशक, Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
परियोजना संख्या: NH-10/2019-20

